कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1512/2021 रामबचन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो माह की अवधि में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी श्री रामबचन, प्रधानाचार्य, श्री रामचन्द्र नेवटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.02.87 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यग्रहण किया गया था एवं दिनांक 27.05.2010 को पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण किया परन्तु अपीलार्थी की पदोन्नति 2016–17 के रिक्त पदों पर की गई। अपीलार्थी द्वारा पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक 27.5.2010 से सेवा परिलाभ एवं पदोन्नति प्रदान किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक में प्रधानाध्यापक–मावि एवं समकक्ष पद (ग्रप–एफ शैड्यूल–I) हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी श्री रामबचन अपनी द्वितीय वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता क्रमांक 1209 (वर्ष 1986–88) के आधार पर पूर्व में डीपीसी वर्ष 2016–17 में चयनित हुआ था, तत्पश्चात् नवीन संशोधित चयन वर्ष (डीपीसी) 2013–14 होने से विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–III/रिव्यू प्र.अ./डीपीसी/2013–14 से 17–18 दिनांक 16.12.2018 द्वारा इनके चयन को निरस्त किया गया। अतः नियमानुसार डीपीसी वर्ष 13–14 में पदोन्नति होने पर कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक लाभ अथवा डीपीसी वर्ष की अन्तिम दिनांक से पदोन्नति परिलाभ देय है। अपीलार्थी द्वारा जिस प्रकार का अनुतोष चाहा गया है, वह नियमानुसार देय नहीं है क्योंकि पातेय वेतन पर अपीलार्थी का केवल पद विरूद्ध पदस्थापन किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति नहीं होने के कारण दिनांक 27.05.2010 से पदोन्नति परिलाभ दिया जाना नियमानुसार नहीं होने के कारण अपीलार्थी का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। संबंधित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रामबचन/1512/2021 दिनांकः 01.09.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक सीकर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री रामबचन, प्रधानाचार्य, श्री रामचन्द्र नेवटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर जिला सीकर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)